भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2957
जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
15 श्रावण, 1947 (शक)

डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना

2957. श्री जिया उर रहमानः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना, बेहतर साइबर सुरक्षा उपायों, उन्नत डेटा गोपनीयता सुरक्षा और पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा डिजिटल सेवाओं की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, साइबर सुरक्षा ढांचे को बेहतर बनाने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा आगामी वर्षों में डेटा संरक्षण संबंधी सख्त कानून लागू करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों एवं नीतिगत उपायों का विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** सरकार उठाए गए मुद्दों से अवगत और उनके प्रति सजग है। सरकार ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संरक्षण बढ़ाने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं तक अभिगम प्रदान करने और देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें और नीतिगत प्रतिउपाय किए हैं, जिसका उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। कुछ प्रमुख प्रतिउपाय निम्नानुसार हैं:
(i) डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं तक अभिगम बढ़ाने के लिए, सरकार ने आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), डिजिलॉकर, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग), ई-हस्ताक्षर, ई-हॉस्पिटल, ई-संजीवनी, मायस्कीम, आरोग्य सेतु, माईगव, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी), सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) आदि जैसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं।
(ii) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सर्ट-इन दूरसंचार सुरक्षा संचालन केंद्र (टीएसओसी), भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) आदि सहित साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ काम करता है।
(iii) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के तहत देश में महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।
(iv) सर्ट-इन सक्रिय खतरे के शमन हेतु विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ अनुकूलित अलर्ट साझा करने हेतु एक स्वचालित साइबर खतरा आसूचना विनिमयन मंच संचालित करता है।

(v) सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

(vi) साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा उपलब्ध कराई गई एक नागरिक केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बोटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद करता है और इसे हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है, और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

(vii) साइबर सुरक्षा पेशेवरों, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और सरकारी कर्मचारियों इत्यादि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

(viii) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के तहत देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ix) देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को उच्च बैंडविड्थ क्षमता इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

(x) इंडिया एआई मिशन: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, सरकार प्रौद्योगिकी में अग्रणी नवाचारों को बढ़ावा दे रही है और इसे सभी के लिए सुलभ बना रही है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास और उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन में सुधार हुआ है। इंडियाएआई मिशन में लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेही, सुरक्षा, निष्पक्षता और मानवाधिकारों और गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

(xi) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया है। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है, जो व्यक्तियों के अपने डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध डेटा प्रसंस्करण की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है।

(xii) डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (यथोचित सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 (एसपीडीआई नियम) में निकाय निगम या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना के प्रबंधन हेतु यथोचित सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं अनिवार्य की गई हैं।

*****